

क्र. 0-5297/2018/रीवा/अ.श.०

352

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष/सदस्य महोदय राजस्व बोर्ड ग्वालियर सर्किट कोर्ट

रीवा ₹०१००



राधिका प्रसाद पटेल तनय रघुनाथ प्रसाद पटेल निवासी ग्राम दुबगवां कुर्मियान

तहसील मऊंज जिला रीवा ₹०१००

----निगरानीकर्ता

बनाम

1. अमोलकती पत्नी भीमसेन
2. आशा पुत्री भीमसेन
3. ममता पुत्री भीमसेन
4. मालती पुत्री भीमसेन
5. हरेम्ब पिता भीमसेन
6. हरिवेन्द पिता भीमसेन
7. डिगन लाल पिता भीमसेन
8. सुभद्रा पत्नी शोभनाथ
9. अरुण कुमार पिता शोभनाथ
10. रमेश कुमार पिता शोभनाथ
11. कृष्णराज कुमार पिता शोभनाथ
12. कामला प्रसाद पिता रघुराई

सभी निवासी ग्राम दुबगवां कुर्मियान तहसील मऊंज जिला रीवा ₹०१००

-----गैरनिगरानीकर्ता गिण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त

महोदय रीवा सम्भाग रीवा के राजस्व प्रकरण क्रमांक

1834/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 5-8-18

क्र. 0-5297/2018/रीवा/अ.श.०

अधिवक्ता श्री रावेंद्र सिंह
द्वारा दिनांक 29-8-18

ms

राजस्व प्रकरण क्रमांक 1834/अपील/2017-18

Handwritten signature

Handwritten signature

228

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

क्रमांक निगम 15297/2017/2018 जिला-रीवा

राधिका उस्ताद विरुद्ध शोभातवती

(1)	(2)	(3)
17-1-18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री राधिका उस्ताद अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कमिश्नर/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 1834/अपील/17-18 में पारित आदेश दिनांक 06-8-18 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 29-8-18 प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>2. म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये।</p> <p>3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात् प्रकरण दा.द. हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	

महोदय रीवा संभाग रीवा के राजस्व प्रकरण क्रमांक

1834/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 6-8-18